

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं० 174/2023 State Bank of India आवेदक सं० 174/2027

श्री श्री S.M. Narayanaiah Adu ने मेरे पास आवेदन किया है कि निर्माणाधीन संपत्ति के सम्बन्ध निम्नलिखित संव्यवहारों अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। Sec-20 City Center (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।) 10/10/24

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभाषित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में चर्चा 11 में और उससे अनुसूचितियों 11 में ता० 1997 से ता० 30/9/2023 तक तलाश की गयी और ऐसा तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्ठा पुन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्ठापन	दावेदारी	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Molra Chas Thana 30 Khatra 263 Plot 116 Area 16.50		Property owner: 1) Shikundla Devi 2) Amrita Devi विलेखित 29.85 16/11/2017 दस्तावेज 2	Free from En Com 510/2	Shikundla Devi 2) Amrita Devi			
			दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।					


जिवा अवर-जिवा  
बोकारो  
03/10/23

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1) बंधक पत्र की दशा में ध्याज की दर और भुगतान अवधि दर्ज करें यशर्त कि इसके बारे में उल्लेख हो।  
2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Dhordil Kumar  
Authorized Signatory


ताला किसी संस्थापक और अवभार का पत्र नहीं भेजा है।

भिन्न व्यक्तियों ने प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जांच भिन्न व्यक्ति ने की


(हस्ताक्षर) : 

(पदनाम) :- Clerk

कार्यालय :- जिला अवर निबंधक (विकास) (विकास)

तारीख :- 03/10/17



  
निबंधक परीक्षिकारी का हस्ताक्षर  
03/10/17

- टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र के सदस्यवहार और अवभार दिताये गये है वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को नियन्त्रित दस्ता वेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों सदस्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- 2) नियन्त्रण अधिनियम को 57 के अर्धीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रतिलिपियों देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिदिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जख्खरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।
- [क] किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपस्थित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
- [ख] और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उनके द्वारा बुटे गये सदस्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न बुंदु गये ऐसे सदस्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।